ISSN No. : 2394-0344 **REMARKING :** VOL-1 * ISSUE-2*JULY-2014

महिला सशक्तिकरण : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

सुनील कुमार यादव
शोध छात्र
(यू0जी0सी0– एस0आर0एफ0)
समाजशास्त्र विभाग,
दी0द0उ0गो0वि0वि0, गोरखपुर।

मानवेन्द्र प्रताप सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर,
समाजशास्त्र विभाग,
दी0द0उ0गो0वि0वि0, गोरखपुर।

सारांश

महिलाएं किसी भी देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा होती है अतः कोई भी समाज तब तक विकास नहीं कर सकता, जब तक की महिलाएं अपना पूर्ण सहयोग प्रदान न करें। इतिहास के विभिन्न कालों में महिलाओं की स्थिति भिन्न–भिन्न रही है। वैदिक युग में महिलाओं की स्थिति संतोषजनक थी। शिक्षा, विवाह, सम्पति के सम्बन्ध में महिलाओं के अधिकार पुरूषों के समान था। उत्तर वैदिक काल में उनकी स्थिति में गिरावट आने लगी। मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति में और गिरावट आयी। पर्दा प्रथा, बहुविवाह, वेश्यावृति आदि कुरीतियों का विकास हुआ। ब्रिटिश काल में भी इनकी स्थिति में संतोषजनक परिवर्तन नहीं हो पाया। मोटे तौर पर हम कह सकते है कि 1970 के दशक तक राज्य की नीतियॉ महिलाओं के कल्याण पर जोर देती रही। 1980 के दशक में महिलाओं के विकास पर जोर दिया जाता रहा तथा 1990 के दशक में सशक्तिकरण पर जोर दिया जाता रहा। महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भी प्रयास होते रहे है। भारत और पूरे विश्व में 1975 को महिला वर्ष के रूप में मनाया गया। 8 मार्च 1992 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया जो महिलाओं के रोजगार से सम्बन्धित था। जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया ताकि महिलाओं को समाजिक, आर्थिक तथा मानसिक शोषण से मुक्ति मिल सके। पंचायतों में एक तिहाई पदों पर महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान 73वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। भारत में वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया। उपर्युक्त सभी प्रयासों के अलावा वैश्वीकरण एवं संचार क्रान्ति ने भी महिलाओं को सशक्त करने में अहम भूमिका निभाया है लेकिन आज भी पूर्ण रूप से महिला सशक्तिकरण का सपना पूर्ण नहीं हो सका है। महिला सशक्तिकरण के लिए पुरूषों को भी अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा। तभी महिला सशक्तिकरण का सपना पूर्ण हो सकेगा।

मुख्य शब्द : महिला सशक्तिकरण,अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस,भौतिक एवं अध्यात्मिक, संविधान

प्रस्तावना

महिलाओं की सुदृढ़ व सम्मानजनक स्थिति एक उन्नत, समृद्ध तथा मजबूत समाज की द्योतक होती है। भारतीय समाज में ''यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमंते तत्र देवता'' का सूत्र वाक्य पौराणिक काल से मान्य रहा (मनुस्मृति 3/56)। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते है जिनसे पता चलता है कि प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। मध्यकाल एवं इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति तक इनकी स्थिति संतोषजनक नहीं थी। किन्तु स्वतंत्रता के बाद से संविधान में किये गये अनेक प्रावधानों के कारण आज भारतीय महिलाओं की स्थिति में गुणात्मक सुधार हुआ है।

किसी भी समाज के विकास में महिलाओं की महत्पूर्ण भूमिका होती है। महिलाओं की प्रस्थिति एवं उनके अधिकारों में वृद्धि ही महिला सशक्तिकरण है। महिलाएं आज पुरूषों के समान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। पृथ्वी से लेकर आकाश तक कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, जहॉ महिलाओं ने जीत का परचम न लहराया हों हालांकि यहॉ तक का सफर तय करने के लिए महिलाओं को काफी मुश्किलों एवं संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा है (जैन, 2011)। महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत महिलाओं से जुड़े समाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी मुदों पर संवेदनशीलता और सरोंकार व्यक्त किया जाता है। सशक्तिकरण की प्रक्रिया में समाज को पारंपरिक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के प्रति जागरूक किया जाता है जिसने महिलाओं की स्थिति को सदैव कमतर माना है। वैश्विक स्तर पर नारीवादी आन्दोलनों और यू0एन0डी0पी0 जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने महिलाओं के समाजिक समता एवं स्वतंत्रता और न्याय सम्बन्धी अधिकारों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।महिला सशक्तिकरण भौतिक एवं अध्यात्मिक,शारीरिक तथा

मानसिक सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है(wikipedia)।

स्वामी विवेकानन्द ने कहा है कि ''जब तक महिलाओं की दशा को सुधारा नहीं जायेगा, तब तक विश्व कल्याण संभव नहीं है। परिन्दें के लिए एक पंख से उड़ना असंभव है।'' वैदिक कालीन समाज में पुत्र एवं पुत्री को एक समान समझा जाता था। तत्कालीन समाज में ऐसे धार्मिक कृत्य आयोजित हाते थे जिसका उद्देश्य विदुषी पुत्री प्राप्त करना था। ऋग्वैदिक काल में पति, पत्नी को चल सम्पत्ति समझता था (उपनिषद) हमारा समाज पुरूष प्रधान समाज है वर्तमान में, हमारे समाज में महिलाओं का अनुपात कुल जनसंख्या लगभग आधा है। इस भूमण्डलीकरण के युग में महिलाओं की स्थिति में अप्रत्याशित परिवर्तन आया है। इसके पहले महिलाओं का कार्य घर की चाहरदीवारी तक ही सीमित माना जाता था, उसमें परिवर्तन आया है। आज हमारे समाज में महिलाएं समाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सशक्त हो रही है। इस युगान्तकारी परिवर्तन ने समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया है। अपने को सशक्त मानने वाले पुरूष वर्ग को यह स्वीकार करना पड़ा कि महिलाएं अब किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है।

स्मकालीन विश्व में 'नारीवाद' एक सशक्त विचारधारा है। नारीवाद अस्तित्व बोध अभिव्यक्ति है और महिलाओं के लिए समस्त अधिकार बोधक है (त्रिपाठी, 2010)। नारी शक्ति है, नारी श्रद्धा है, नारी पूजनीय है। मैकाइवर नारी को शक्ति प्रतिनिधित्व मानते है (मैकाइवर)। आज से लगभग 100 वर्ष पहले नारीवादी आन्दोलन की आधारशिला रखी गई। सन 1970 के दशक में नारी शक्ति से सम्बन्धित आन्दोलन की शुरूआत हुई। जर्मनी, डेनमार्क तथा आस्ट्रिया में लाखों की संख्या में महिलाओं एवं पुरूषों ने महिला अधिकारों के लिए भाग लिया (आर्य, 2011)। 1985 में नैरोबी में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें नारी सशक्तिकरण की पहल की गई। महिला सशक्तिकरण सिर्फ एक विचार नहीं अपितु एक क्रान्ति है, चेतना है, विश्वास है व आस्था है। यह हम सभी व्यवस्थाओं के विरूद्ध प्रहार है। जिनके निर्माण का आधार पुरूषों की संकीर्ण मानसिकता है। महिला सशक्तिकरण से अभिप्राय महिलाओं को पुरूषों के समान वैधानिक, राजनीतिक, समाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में निर्णय लेने की स्वायत्तता तथा उनकी स्थिति में बदलाव से है (भट्टाचार्य, 2004)। पंचायतों में एक तिहाई पदों पर महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान 73वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया तथा राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया था और महिलाओं को स्वशक्ति प्रदान करने की राष्ट्रीय नीति अपनायी थी। महिलाओं को समाजिक, आर्थिक, कानूनी और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई कानून बनाये गये है। देश के मेरूदण्ड ग्रामीण भारत की भूमिका को, ध्यान में रखते हुए सरकार ने महिलाओं की सक्रिय भागदारी के साथ पंचायती राज्य प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए कदम उठाये है। इसमें कई महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में निर्वाचित होने का प्रोत्साहन मिला है जो उनके राजनीतिक सशक्तिकरण संकेत है।

महिला सशक्तिकरण 2001 के लिए राष्ट्रीय नीति

भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, राज्यों के नीति निदेशक तत्वों में महिला–पुरूष समानता के सिद्धान्त को प्रतिस्थापित किया गया है। संविधान न केवल महिलाओं के समानता की गारण्टी प्रदान करता है अपितु राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक कदम उठाने का हक भी प्रदान करता है। पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974–78) के समय से ही भारत महिलाओं के सशक्तिकरण को समाज में उनकी स्थिति निर्धारित करने के लिए केन्द्रीय मुद्दें के रूप में लेकर चल रहा है। सरकार ने महिला मुद्दे को कल्याण से लेकर विकास के रूप में लाकर अपने दृष्टिकोण में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है। महिलाओं के अधिकारों और कानूनी हकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1990 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। पंचायतों और नगर निगमों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए सन् 1993 में 73वां और 74वां संविधान संसोधन किया गया। इस प्रकार स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी की पृष्ठभूमि रखी गयी है। भारत ने महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने वाले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय समझौतें और संधिपत्रों को अनुमोदित किया है। सन् 1993 में महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मुलन सम्बन्धी संधिपत्र का अनुमोदन प्रमुख है।

लक्ष्य एवं उद्देश्य

राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य महिलाओं की उन्नति, विकास और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना होता है। इसके उद्देश्यों में महिलाओं के विकास के लिए सकारात्मक, अर्थिक एवं समाजिक नीतियों के माध्यम से ऐसा अनुकूल माहौल तैयार करना है, जिससे महिला अपनी क्षमता को साकार कर सकें। स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, रोजगार, समान पारिश्रमिक एवं समाजिक सुरक्षा का लाभ उठा सकें। महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ सभी प्रकार के विभेद एवं हिंसा का उन्मुलन तथा समाजिक दृष्टिकोण में बदलाव भी सुनिश्चित करना सम्मिलित है। संवैधानिक कायदें–कानून तभी काम आयेंगे जब लोगों में उन कानूनों की जानकारी हों और कानूनी प्रक्रिया को आसान बनाया जाय (इन्टरनेट)।

स्वतन्त्रता के बाद सरकारों, महिला संगठनों, महिला आयोगों के प्रयासों से महिलाओं के विकास (उन्नति) के द्वार खुले, उनमें शिक्षा का प्रसार हुआ जिससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। आज भी राजनीति, समाज सुधार, शिक्षा, पत्रकारिता, साहित्य, उद्योग, विज्ञान सभी क्षेत्रों में पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। एक ओर यह परिदृश्य देखा जाय तो काफी उत्साहजनक है, पर दूसरी ओर आज भी लाखों–करोड़ों महिलाएं गरीबी, शोषण एवं उत्पीड़न की शिकार है। यह सर्वविदित तथ्य है कि सर्वप्रथम महिला ने ही पुरूष को घर बनाकर रहने की प्रेरणा दी, लेकिन आज उसी घर में स्त्री को शारिरीक, मानसिक, भावनात्मक सभी रूपों में घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है परिणामस्वरूप

स्त्री का अस्तित्व न केवल परिवार में बल्कि परिवार के बाहर भी कमजोर हुआ है (मिश्र)। महिलाओं के लिए अब कोई क्षेत्र ऐसा नहीं रहा है जहां उनकी पहुॅच न हों फिर भी पुरूष प्रधान और पितृसत्तामक परिवार में स्त्री का स्थान दोयम दर्जे का है; उसके कर्तब्य है, अधिकार नहीं। समांतवादी ढ़ांचे में परिवर्तन जरूर हुआ है किन्तु मनुष्य की सोच, मानसिकता और व्यवहार में जितना परिवर्तन आना चाहिए था वह नहीं आया है। अभी भी उसमें पुरूषत्व का गहरा अहम छिपा हुआ है। जो विभिन्न हिंसक घटनाओं में फुटता है। आज जितनी तेजी से स्त्री शिक्षा का विस्तार हो रहा है, उच्च एवं व्यवसायिक शिक्षा में नारी वर्चस्व बढ़ रह है, नौकरियों एवं व्यवसाय में प्रतिनिधित्व में वृद्धिहो रही है, उतनी ही अधिक नारी के विरूद्ध अपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। आज नारी न घर के अन्दर सुरक्षित है न चाहरदीवारी के बाहर। ऐसे असुरक्षा के दौर में सम्पूर्ण समाज के सन्तुलित विकास के विषय में सोचा भी नहीं जा सकता।

महिला सशक्तिकरण की बाधाएं

महिला सशक्तिकरण अभियान के समक्ष बाधक के रूप में दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, यौन शोषण, महिला को पुरूष के बराबर पारिश्रमिक नहीं मिलना इसके मुख्य कारक है। हमारा समाज पुरूष प्रधान समाज है, आज भी हमारी समाजिक व्यवस्था में ऐसे अनेक कारक है जो महिलाओं को सशक्त नहीं होने देते, जो निम्नवत् है –

1. स्वास्थ्य एवं कुपोषण
2. कन्या भ्रूण हत्या
3. लिंगानुपात में महिलाओं की घटती संख्या
4. वेश्यावृति
5. महिलाओं की पुरूषों पर निर्भरता
6. निर्धनता एवं आर्थिक विषमता
7. अशिक्षा एवं बेरोजगारी
8. दहेज प्रथा एवं बाल विवाह
9. मानवधिकारों का हनन व पर्यावरण का दुष्प्रभाव
10. यौन उत्पीड़न (24 प्रति मिनट), अपहरण (43 प्रति मिनट), बलत्कार (54 प्रति मिनट), दहेज उत्पीड़न (102 प्रति मिनट)
11. समाजिक भेदभाव व महिलाओं के विरूद्ध मानसिक हिंसा।

सशक्तिकरण के प्रयास महिला शक्तिकरण की दिशा में सर्वप्रथम महला कदम महिलाओं में आत्मनिर्भरता तथा स्वाभिमान पैदा करना है, महिलाओं के समाजिक एवं आर्थिक दशा को सुधारना है। चिकित्सा, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अन्तरिक्ष, खेल–कूद सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि ये किसी भी क्षेत्र में पुरूषों से कम नहीं है उन्हें इसका अवसर मिलना चाहिए।

संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार प्राप्त है। संविधान किसी भी नागरिक के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता। संविधान निर्माताओं ने विभेद रहित प्रजा तंत्र की स्थापना की, जिसमें समानता के ध्येय को सर्वोपरि रखा गया है। महिलाओं को आगे बढ़ाने तथा उन्हें हर क्षेत्र में अवसर देने के लिए विशेष प्रावधान किये गये है (कश्यप) –

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता अथवा विधियों का समान संरक्षण प्रदान किया गया है।
2. अनुच्छेद 15(1) में राज्य किसी भी नागरिक के विरूद्ध धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर विभेद नहीं करेगा।
3. अनुच्छेद 16(2) में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास के आधार पर किसी नागरिक के लिए राज्याधीन किसी नौकरी या पद के लिए अपात्र नहीं माना जायेगा।
4. अनुच्छेद 19(1) समान रूप से सभी नागरिकों को भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारण्टी देता है। सभी नागरिक अपने विचारों, विश्वासों और निर्णयों को मौखिक, लेखन, मुद्रण, चित्रण एवं अन्य माध्यमों से अभिव्यक्त कर सकते है।
5. अनुच्छेद 19 समान रूप से सबको प्रण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या वैयक्तिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता।
6. अनुच्छेद 23 तथा 24 में मानव के अवैध व्यापार, बेगार और अन्य बलात श्रम, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन आदि के द्वारा शोषण के विरूद्ध संरक्षण प्रदान करना है।
7. अनुच्छेद 39 गांधीवादी दर्शन की अभिव्यक्ति करता है तथा समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करता है।
8. अनुच्छेद 42 तथा 43(3) राज्य कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, काम की मानवोचित दशाएं, प्रसूति सहायता, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश पूर्ण उपभोग और समाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
9. अनुच्छेद 243 पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की एक–तिहाई स्थानों का संरक्षण प्रदान करता है (पाण्डेय)।

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को निर्धारित करने में समाज के साथ–साथ राज्य की महत्पूर्ण भूमिका रही है। समय के साथ–साथ राज्य की भूमिका सकारात्मक होती गयी लेकिन इसका दूसरा पक्ष देखा जाय तो नाकारात्मक भी है। अभी हाल में घटित घटना ने महिला सशक्तिकरण पर प्रश्न चिन्ह् लगा दिया, दिल्ली गैंग रेप काण्ड के बाद समाज के हर वर्ग में गुस्सा है (INTERNET : deshbandhu.co.in)।

अब आवश्यकता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के काम को पूरी ताकत से प्रारंभ कर देना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि महिला पुरूष के बीच के बराबरी को समाजिक विकास की आवश्यक शर्त माना जाय। यह लक्ष्य तभी हांसिल होगा। जब स्त्री एवं पुरूष में बराबरी के बात को सभी दलों के राजनीतिक अजेण्डा में प्रमुख स्थान दिया जाय। आजादी की लड़ाई के दौरान समाजिक समानता को स्वतंत्रता का स्थायी भाव माना गया था। महात्मा गांधी, डॉ0 भीम राव अम्बेडकर

और राम मनोहर लोहिया के उत्तराधिकारी आज देश के ज्यादातर हिस्सों पर राज्य कर रहे है। इस तीनों ही महान राजनेताओं ने अपनी राजनीतिक साझेदारी में दलित वंचित वर्गो को राजनीतिक ताकत देने की बात कही थी। सबके तरीके अलग–अलग थे लेकिन संविधान में पिछड़ें वर्गों को अन्य वर्गों के साथ बराबरी के मुकाम पर लाने के लिए सकारात्मक हस्तक्षेप की बात की गई थी। देश के सभी बड़े राजनीतिक चिन्तकों और मनीषियों स्वीकार किया था कि महिलाएं भी समाज के वंचित वर्गों में शामिल है। अगर सब ऐसा मानते है तो वंचित वर्गों के साथ–साथ महिलाओं को भी सरकारी नौकरियों और राजनीतिक पदों में आरक्षण क्यों नहीं दिया जाय? उसी चूक नतीजा है कि लड़किया पिछड़ती गई और उनको शिकंजे में रखने के लिए तरह–तरह के प्रयोग किये गये। महिलाओं को समाज और राजनीति में सम्मान देने का एक ही तरीका है कि उनके देश और समाज के साथ–साथ अपने बारे में राजनीतिक फैसलें लेने के अधिकार दिये जाये। साथ ही जीवन के हर क्षेत्र में निर्णयन प्रक्रिया में उनको सहभागी बनाया जाय। अगर ऐसा नहीं हुआ तो महिलाएं पिछड़ती रहेगी और जब तक पिछड़ी रहेगी उनका शोषण हर स्तर पर होता रहेगा।

बलात्कार महिलाओं को कमजोर करने और उनको हमेशा पुरूष के अधीन बनाये रखने की पुरूषवादी सोच का नतीजा है। राजनीतिक दलों पर इस बात के लिए दबाव बनाया जाना चाहिए कि ऐसे कानून बनाये जायेजिससे महिला पुरूष बराबरी के अधिकार के साथ समाज के भविष्य के फैसलें ले, और भारत को एक बेहतर देश के रूप में सम्मान मिल सके। इसकी शुरूआत लड़कियों की आधी आबादी को सरकारी नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण का कानून बनाकर किया जा सकता है। बाद में राजनीतिक पदों, लोकसभा और विधानमण्डलों में महिलाओं को आरक्षण देकर उनकी राजनीतिक ताकत को बढ़ाया जा सकता है क्योंकि जब तक देश की महिलाएं अपने भविष्य के फैसलों में बराबर की भागीदार नहीं बनेगी, देश और समाज का कोई भला नहीं होगा। शिक्षा समाज के बुनियाद में यह भर देने की जरूरत है कि पुरूष और स्त्री बराबर है।

आज स्त्री न केवल पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है बल्कि वहजीवन क प्रत्येक क्षेत्र में बहुत आगे तक जाना चाहती है, जहॉ उन्मुक्तता, सृजन एवं सबलता का अहसास हों, जहॉ उसकी प्रतिभा की पहचान हों और जहॉ उसके व्यक्तित्व का निर्माण हों। कुछ लोग विद्यमान तथ्यों को देखकर कहते है, क्यों ? जबकि वह उन तथ्यों का स्वप्न देखती है जो अस्तित्व में नहीं है, और कहती है क्योंकि क्यों नहीं? आज की स्त्री उन्मुक्त उड़ान भरने के लिए व्याकुल है, नई सीमा को परिभाषित करने के लिए सचेत है और अपने क्षमताओं का पूर्ण प्रदर्शन करने के लिए कृतसंकल्प है।उसके मार्ग में आने वाली बाधाएं अब उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे टिक नहीं पाती। उसने स्वयं को सीमित ही सही, लेकिन उस मुकाम पर स्थापित कर दिया है जहॉ पुरूष प्रधान मानसिकता उसके अस्तित्व को नकार नहीं सकता, उसके व्यक्तित्व के प्रभाव से बच नहीं सकता। इसके बावजूद उसे अभी मिलों लंबा सफर तय करना है जो कंटकपूर्ण एवं दुर्गम है जब तक स्त्री–पुरूष को व्यवहारिक आधार पर समानता का स्थान नहीं मिलता तब तक ऐसी किसी भी विकास की कल्पना अपूर्ण ही रह जायेगी। आवश्यकता इस बात की है कि स्त्री उस मुखौटे को उतार फेके जो उसे उसकी इच्छा के विरूद्ध पहनाया गया, जिसे बाद में स्वभाविक समझने लगी। अतः इस मानसिकता से मुक्ति जरूरी है, तभी सशक्तिकरण वास्तविक अर्थों में दिखेगा। उसे ऐसा प्रवेश और ऐसी सहायता मिलें जिससे उसका उत्थान सहजता से हो सकें तभी महिला सशक्तिकरण अभियान को वास्तविक सार्थकता मिल सकती है। विगत समय की अपेक्षा आज परिस्थितियां नारी के लिए कुछ अनुकूल अवश्य भी है, नारी पंचायतों से लेकर स्कूल, कालेज, प्रखण्ड, जिला, राज्य, देश तथा विदेश आदि स्तर पर वे अपनी उपस्थिति का एहसास करा रही है चाहें वह सड़क पर ठेला ढ़केल कर जी तोड़ मेहनत कर, सब्जियॉ बेचकर, ईंट के भट्ठें में काम कर, कपड़े में प्रेस कर, मेहनत मजदूरी के साथ–साथ शराबी आन्दोलन जैसे जागरूकता नारी सशक्तिकरण का उदाहरण है, वही किसी कम्पनी की सी0ई0ओ0 भी ऐसा ही उदाहरण है, फिर भी इस क्षेत्र में सार्थक प्रयास करना अभी बाकी है। तभी जाकर इसके वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।

Bibliography

1. मनुस्मृति (3/56) ; यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमंते तत्र देवताः।
   यत्रौतास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्त्रिता फलां क्रियाः।।
2. जैन, योगेशचन्द्र (2011) ; निबंधमाला एवं निबंध, अरिहन्त पब्लिकेशन्स (इंडिया) लि0पृष्ठ सं0– 106
3. hi.wikipedia.org/wiki/ Women Empowerment accessed at 12-03-2013
4. उपनिषद् ; वृहदरण्यक उपनिषद् 4/4,18
5. त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि (2010) ; प्रमुख राजनीतिक संकल्पनाएं एवं विचारधारायें दिल्ली, पृ0सं0– 649
6. मैकाइवर, आर.एम. ; द मार्डन स्टेट लन्दन, पृ0सं0– 29
7. आर्य, अल्का (2011) ; सौ साल की आधी अधूरी तस्वीर, राष्ट्रीय सहारा, पृ0सं0–8, मार्च 2011
8. भट्टाचार्य, सुनील कान्त (2004) ; भारत की समाजिक समस्याएं, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2004
9. Internet www.shanshank2012.jagranjunction.com /2012/3/20/महिला सशक्तिकरण accessed at 23/03/2013
10. मिश्र, समीरात्मज ; निबंध मंजूषा, Tata Mc Graw Hill's Education Private Limited, New Delhi,पृ0सं0–19
11. कश्यप, सुभाष ; हमारा संविधान
12. पाण्डेय जयनारायण ; हमारा संविधान
13. Internetwww.deshbandhu.co.in/newsdetail/3429/ 10/10 accessed at 15/03/2013